रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17052025-263174
SG-DL-E-17052025-263174

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 15, 2025/वैशाख 25, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 48
No. 148] DELHI, THURSDAY, MAY 15, 2025/VAISAKHA 25, 1947 [N. C. T. D. No. 48

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अप्रैल, 2025

No. F.1(2554)/Legal/HQ/23-23/1022 :- दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जनहित में, एतद्द्वारा, "दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम 1994 के अंतर्गत वृक्षों की कटाई / प्रत्यारोपण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया" अधिसूचित करती है।

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण क लिए मानक संचालन प्रक्रिया

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 **(तत्पश्चात "अधिनियम" के रूप में संदर्भित)** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वृक्षों की कटाई को नियंत्रित करता है। अधिनियम का उद्देश्य वृक्षों को संरक्षित करना है तथा जब तक आवश्यक न हो, वृक्षों को काटने या गिराने की अनुमति नहीं देना है। अधिनियम के उद्देश्य पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि वृक्षों को गिराने या काटने की अनुमति केवल अपवाद के रूप में दी जा सकती है, न कि नियमित रूप से। अधिनियम के प्रावधान सार्वजनिक न्यास सिद्धांत को दोहराते हैं, जो राज्य को वृक्षों सहित प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने का भी आदेश देता है।

भारत के संविधान के 21, 48 क तथा 51 क (छ) को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि राज्य को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुधार और सुरक्षा करने का अधिकार है। वृक्ष हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एहतियाती सिद्धांत के अनुसार सरकारों को पर्यावरण क्षरण के कारणों का पूर्वानुमान लगाना, रोकना तथा उनका समाधान करना या उन्हें खत्म करना चाहिए, जिसमें उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना भी शामिल है। एक भी पूर्ण विकसित वृक्ष की अवैध कटाई पर्यावरण और समस्त समाज को नुकसान पहुंचाती है।

इस अधिनियम का उद्देश्य और लक्ष्य, अन्य बातों के साथ–साथ, समुदाय की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वनरोपण, पुनर्वनरोपण एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, तथा दिल्ली में वृक्षों एवं वनों के प्रति नागरिकों में सहज स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देना है।

अधिनियम के तीन मुख्य भाग हैं। पहला भाग वृक्षों को गिराने की अनुमति देने, दूसरा भाग वृक्ष प्राधिकरण के कर्तव्यों तथा तीसरा भाग अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने से संबंधित है। इसमें अन्य प्रावधान भी हैं, जैसे भूमि के मालिकों का वृक्षों को संरक्षित करने का दायित्व।

1. वृक्ष संरक्षण से संबंधित दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की महत्वपूर्ण विशेषताएं :

1.1 अधिनियम की धारा 2(i) के अनुसार "वृक्ष" से अभिप्राय किसी काष्ठीय पौधे से है जिसकी शाखाएं अधिनियम में यथापरिभाषित किसी तने या शरीर से निकलती है तथा उस पर टिकी होती हैं।

1.2 अधिनियम की धारा 2 (झ) के अंतर्गत "वृक्ष गिराने" को परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 2 (झ) के अंतर्गत इस परिभाषा के अनुसार, "वृक्ष गिराने" का अभिप्राय, वृक्ष के तने को जड़ों से अलग करना, वृक्ष को जड़ समेते उखाड़ना तथा इसमें बुलडोजर से गिराना, काटना, घेरा बनाना, वृक्ष को काटना–छांटना, पोलर्डिंग, वृक्षनाशाओं का प्रयोग करना, जलाना या किसी अन्य तरीके से वृक्ष को क्षति पहुंचाना शामिल है।

1.3 धारा 8, अधिनियम की धारा 2 (ट) के अंतर्गत नियुक्त वृक्ष अधिकारी की अनुमति के बिना वृक्षों को गिराने पर रोक लगाती है, सिवाय उन स्थितियों के जहां यदि वृक्ष को तुरंत नहीं गिराया जाता है, तो जीवन या संपत्ति या यातायात के लिए गंभीर खतरा होने की संभावना है। – ऐसे मामलों में भूमि का स्वामी ऐसे वृक्ष को गिराने के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकता है और ऐसे वृक्ष के गिरने के चौबीस घंटे के भीतर वृक्ष अधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा।

1.4 धारा 9(2) के अंतर्गत वृक्ष अधिकारी वृक्ष गिराने की अनुमति दे सकता है/नहीं दे सकता। प्रासंगिक रूप से, धारा 9(3) के परन्तुक के अंतर्गत, वृक्ष अधिकारी एक ही वर्ष में एक ही क्षेत्र से दो बार से अधिक कटाई की अनुमति नहीं दे सकता, बशर्ते कि अधिकतम क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर हो।

1.5 धारा 11 के अंतर्गत भूमि स्वामियों को अपनी भूमि पर वृक्षों के संरक्षण एवं सुरक्षा का आदेश दिया गया है, जो धारा 10 के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुपालन में लगाए गए हैं तथा यदि स्वामी द्वारा पर्याप्त उपाय नहीं किए जाते हैं तो वृक्ष अधिकारी वृक्षों के संरक्षण के लिए निर्देश जारी कर सकता है।

1.6 अधिनियम की धारा 29, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सार्वजनिक हित में अधिनियम के समस्त या किसी भी प्रावधान से किसी क्षेत्र या वृक्षों की किसी भी प्रजाति को छूट देने का अधिकार देती है।

1.7 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए एक वर्ग के वृक्षों को गिराने पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का अधिकार भी दिया गया है।

1.8 अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए वृक्ष अधिकारी, वृक्ष प्राधिकरण और वृक्ष प्राधिकरण के अधीनस्थ अधिकारियों को उनके कार्यों के निर्वहन के संबंध में निर्देश दे सकती है।

2. वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण के लिए आवेदक द्वारा उपलब्ध किया जाने वाला विवरण।

2.1. यदि किसी आवेदक को किसी अन्य कारण से पता चले कि वृक्ष (वृक्षों) की कटाई/प्रत्यारोपण करना आवश्यक है, तो उसे वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन में निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध करने होंगे :

i. डीपीटीए ई–फॉरेस्ट पोर्टल पर सभी प्रकार से विधिवत भरा हुआ प्रपत्र।

ii. स्वामित्व के पंजीकृत दस्तावेज़ की स्व–सत्यापित प्रति तथा/या नगरपालिका अथवा राजस्व रिकॉर्ड की प्रति जिसमें संपत्ति के स्वामित्व का स्पष्ट विवरण हो या तहसीलदार द्वारा जारी भूमि रिकॉर्ड की जमाबंदी ।

iii. यदि आवेदक भूमि का स्वामी नहीं है तो भूमि स्वामी (स्वामियों) से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

iv. संपूर्ण क्षेत्र के वृक्षों की गणना सूची (प्रजातियां और परिधि) (आवेदक या आवेदक के अधिकृत एजेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित), जिसमें गणना संख्या स्पष्ट रूप से दर्शाने वाले भू–संदर्भित फोटोग्राफ शामिल हों (प्रत्येक वृक्ष को आवेदक द्वारा एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी)।

v. सीमा विवरण (आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित)।

vi. वचनबद्धता कि अन्य सभी अनुमतियां/अनुमोदन, जो भी आवश्यक हों, प्राप्त कर लिए गए हैं या प्राप्त किए जा रहे हैं।

vii. उस स्थान का विवरण (केएमएल फाइल, क्षेत्र, खसरा विवरण सहित स्वामित्व प्रमाण) जहां वृक्षों को प्रत्यारोपित किया जाना प्रस्तावित है और प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, यदि लागू हो।

viii. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वचनबद्धता, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित भूमि का उक्त टुकड़ा किसी अन्य उद्देश्य के लिए आवंटित नहीं है, जिसमें प्रतिपूरक वृक्षारोपण/वनरोपण/किसी अन्य परियोजना के लिए प्रतिपूरक प्रत्यारोपण शामिल है (यदि लागू हो)।

ix. वृक्ष प्रत्यारोपण नीति, 2020 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में वृक्ष संरक्षण योजना।

x. यदि आवेदन किसी विकास परियोजना से संबंधित है, तो निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज (उपर्युक्त दस्तावेजों (क्रम संख्या i से ix) के अतिरिक्त) भी प्रस्तुत किए जाएंगे –

क) परियोजना को अंतिम रूप देने से पहले विचार किए गए अन्य व्यवहार्य विकल्पों का विवरण, यदि कोई हो, ताकि प्रभावित वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो सके।

ख) विस्तृत वास्तुकला चित्रों की एक प्रति (खसरा संख्या दर्शाते हुए चित्र फ़ाइल प्रारूप में) जिसमें प्रस्तावित परियोजना के स्केल अभिविन्यास और संरेखण पर वृक्षों का आवरण शामिल है।

3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण और प्रत्यारोपण

3.1 अधिनियम की धारा 10 में प्रत्येक काटे गए/प्रत्यारोपित वृक्ष के लिए निश्चित संख्या में वृक्ष लगाए जाने का प्रावधान है (जिसे प्रतिपूरक वृक्षारोपण कहा जाए)। प्रत्येक गिराए गए/ प्रत्यारोपित वृक्ष के लिए मानक के रूप में, आवेदक को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथानिर्दिष्ट उपयुक्त प्रजातियों के उतने ही वृक्षों के पौधे लगाने होंगे।

3.2 यदि आवेदक द्वारा काटे जाने वाले/प्रत्यारोपित किए जाने वाले वृक्षों की संख्या पच्चीस से कम या उसके बराबर है, तो प्रतिपूरक वृक्षारोपण/प्रत्यारोपण, यदि संभव हो तो, आवेदक द्वारा स्वयं किया जाएगा; अन्यथा, संबंधित वृक्ष अधिकारी द्वारा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए वन विभाग द्वारा आवेदक को ऐसे वृक्षारोपण/प्रत्यारोपण तथा सात वर्षों तक उसके रखरखाव के लिए अपेक्षित धनराशि प्रदान की जाएगी।

3.3 शेष मामलों में (पच्चीस से ज़्यादा वृक्षों की कटाई/ प्रत्यारोपण के लिए), आवेदक को प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए भूमि उपलब्ध करानी होगी। आवेदक को ऐसी भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण तथा उसके रखरखाव का खर्च भी उठाना होगा, जो वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाता है।

3.4 वृक्ष अधिकारी प्रतिपूरक वृक्षारोपण या प्रत्यारोपण के लिए प्रस्तावित भूमि के बारे में अपेक्षित परिश्रम करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्यमान वृक्षारोपण में संवर्धन/अंतराल–रोपण को भी प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए माना जाएगा ।

3.5 यदि आवेदक स्वयं वृक्षारोपण करता है, तो वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा यथानिर्धारित सुरक्षा जमा के रूप में एक राशि आवेदक को वृक्ष अधिकारी के पास जमा करानी होगी। वृक्ष अधिकारी द्वारा आवेदक को यह राशि (सात वर्ष

बाद) वापस कर दी जाएगी, यदि सात वर्षों में वृक्षारोपण (यथा अपेक्षित रोपित वृक्षों की संख्या) पूर्ण रूप से वृक्षों के रूप में विकसित हो जाता है।

3.6 यदि आवेदक को प्रतिपूरक वृक्षारोपण करना है, लेकिन वह सफल प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने में विफल रहता है, तो वृक्ष अधिकारी द्वारा सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और उसी प्रस्तावित स्थल पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा किया जाएगा। आगे आवेदक को अतिरिक्त स्थल पर सुधार व्यय जमा करने के लिए बाध्य किया जाएगा, जो संबंधित वन विभाग/वृक्ष अधिकारी द्वारा गणना के अनुसार स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त बनाना अपेक्षित हो सकता है।

3.7 वृक्षों के प्रत्यारोपण हेतु समय–समय पर संशोधित प्रत्यारोपण नीति, 2020 का पालन किया जाएगा।

3.8 आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य किया जाएगा कि जहां से वृक्षों को काटा गया है, उस क्षेत्र में या उसके आसपास के क्षेत्र में, जहां तक संभव हो, प्रतिपूरक वृक्षारोपण/प्रत्यारोपण विधिवत रूप से किया जाए।

3.9 लगाए गए या प्रत्यारोपित किए गए प्रत्येक वृक्ष को जियो–टैग किया जाएगा तथा किए गए वृक्षारोपण का विवरण वन विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। वृक्षारोपण करने वाली एजेंसी द्वारा संबंधित वृक्षों की कटाई की अनुमति के विरुद्ध वृक्षारोपण की वार्षिक प्रगति (तिथि के साथ भू–संदर्भित तस्वीरें) अपलोड की जाएंगी।

4. वृक्ष अधिकारी द्वारा दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण हेतु धारा 9(1) के अंतर्गत आवेदन पर विचार

4.1 वृक्ष अधिकारियों का मूल कार्य और कर्तव्य वृक्षों को संरक्षित करना है, इसलिए केवल आवश्यक होने पर तथा उचित कारणों से ही वृक्षों को काटने/प्रत्यारोपण की अनुमति दी जाएगी।

4.2 वृक्ष अधिकारी द्वारा वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण हेतु आवेदन की एक प्रति भूमि विवरण के साथ अनिवार्य रूप से एमसीडी या एनडीएमसी या डीडीए या छावनी बोर्ड को उनकी जानकारी के लिए भेजी जाएगी, जिनके अधिकार क्षेत्र में उक्त क्षेत्र आता है। ये प्राधिकारी अपनी टिप्पणियां/आपत्तियां, यदि कोई हों, तो आवेदन प्राप्त होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर, यदि काटे जाने/प्रत्यारोपण किए जाने वाले वृक्षों की संख्या 50 या उससे अधिक है, तो सीईसी को अन्यथा वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

4.3 वृक्ष अधिकारी स्थल का दौरा करने के बाद यह तय करेंगे कि आवेदक द्वारा वृक्षों की कटाई करने या स्थानांतरण करने की मांग आवश्यक है या नहीं। वृक्ष अधिकारी यथासंभव अधिक से अधिक वृक्षों को बचाने का प्रयास करेंगे। वृक्ष अधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या वृक्षों को छंटाई या किसी अन्य तरीके से कटाई/प्रत्यारोपण से बचाया जा सकता है।

4.4 डीपीटीए ई–फॉरेस्ट पोर्टल पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत परियोजना क्षेत्र की स्वीकृत लेआउट योजना जिसमें भवन योजना, सड़क और अन्य संरचनाएं आदि शामिल हैं, जो आवेदक द्वारा जमीन पर (1:1 के पैमाने पर) सीमांकित की जाएगी। डीपीटीए ई–फॉरेस्ट पोर्टल पर परियोजना क्षेत्र हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत वृक्षों की गणना सूची (प्रत्येक वृक्षा को एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी) जिसमें बचाए जाने वाले, प्रत्यारोपित किए जाने वाले और काटे जाने वाले वृक्ष शामिल हैं, को वृक्ष अधिकारी और आवेदक द्वारा जमीनी स्तर पर संयुक्त रूप से सत्यापित और प्रमाणित किया जाएगा।

4.5 वृक्ष अधिकारी परियोजना क्षेत्र में सभी वृक्षों की सावधानी पूर्वक जांच एवं निरीक्षण करेगा ताकि काटे जाने/प्रत्यारोपित किए जाने वाले वृक्षों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की जा सके। इस प्रक्रिया के बाद, वृक्ष अधिकारी बचाए जाने, प्रत्यापित किए जाने तथा काटे जाने वाले वृक्षों की सूची को अंतिम रूप देगा।

4.6 एक बार जब वृक्षों की सूची को प्रमाणित कर दिया जाता है और कटाई/प्रत्यारोपण के लिए अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो आवेदक संबंधित वृक्ष के चारों ओर दो छल्लों के रूप में वृक्षों को पेंट से 'चिह्नित' करेगा, अर्थात प्रत्यारोपित किए जाने वाले वृक्षों के लिए 'पीला' और काटे जाने वाले वृक्षों के लिए 'लाल'।

4.7 अधिनियम के अंतर्गत वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण के लिए वृक्ष अधिकारी द्वारा एक सकारण आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) जारी किया जाएगा। कटाई/प्रत्यारोपण की अनुमति दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी, जिसे आवेदक द्वारा उचित

औचित्य प्रस्तुत किए जाने पर बढ़ाया जा सकता है। अनुमति की वैधता समाप्त होने पर, आवेदक को अनुमति के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।

4.8 धारा 9 की उपधारा (3) के परन्तुक इस प्रकार हैः

"9. किसी वृक्ष को गिराने, काटने, हटाने या निपटाने की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया –

(3) ..... यह भी उपबंधित है कि किसी व्यक्ति को एक ही वर्ष के दौरान एक ही क्षेत्र से दो से अधिक बार अनुमति नहीं दी जाएगी। बशर्ते एक समय में अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र हो।

4.9 यदि वृक्ष अधिकारी यह पाता है कि उसी क्षेत्र के संबंध में उसी वर्ष वृक्षों के गिराने के लिए दूसरा आवेदन किया गया है तथा पहले और दूसरे आवेदनों द्वारा कवर किए गए वृक्षों की कुल संख्या 49 से अधिक है, यद्यपि दूसरे आवेदन द्वारा मांगी गई अनुमति 50 से कम वृक्षों के संबंध में हो, दूसरे आवेदन पर दी गई अनुमति पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उसका केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (संक्षेप में, "सीईसी") द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता है तथा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

4.10 वृक्ष अधिकारी अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि उसी संपत्ति के संबंध में उस विशेष वर्ष (कैलेंडर वर्ष) में अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किए गए आवेदनों की संख्या के बारे में दस्तावेजों द्वारा समर्थित घोषणा न हो।

4.11 अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (4) पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 4677/1985 एमसी मेहता बनाम यूओआई में दिनांक 19/12/2024 के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई है, और इसलिए यह वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण के लिए प्रस्तुत आवेदनों पर लागू नहीं होगी।

5. 50 या अधिक वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण की अतिरिक्त शर्तें

5.1 जब भी कोई वृक्ष अधिकारी अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 9 के अनुसरण में 50 या अधिक वृक्षों के काटने/प्रत्यारोपण की अनुमति देता है, तो उक्त अनुमति पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उसे सीईसी द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता।

5.2 जब भी अधिनियम के अंतर्गत वृक्ष अधिकारी 50 या उससे अधिक वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण की अनुमति देता है, तो ऐसी अनुमति देने के तुरंत बाद, वृक्ष अधिकारी आवेदन के पूरे रिकॉर्ड के साथ अनुमति की एक प्रति सीईसी को भेजेगा। दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात्, सीईसी हेतु संबंधित वृक्ष अधिकारी को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जानकारी और अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

5.3 सीईसी आवेदनों एवं सभी प्रासंगिक पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करेगी तथा निर्णय लेगी कि क्या अनुमति प्रदान की जानी चाहिए या नहीं अथवा अनुमति में या अनुमति के अंतर्गत लगाए गए नियमों और शर्तों में कोई संशोधन अपेक्षित है। सीईसी, सम्पूर्ण मामले की जांच करने के पश्चात, आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर सकती है तथा/या उन नियमों व शर्तों को संशोधित कर सकती है जिन पर वृक्ष अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

5.4 50 या उससे अधिक वृक्षों को काटने/प्रत्यारोपित करने की अनुमति देते समय, जब तक कि मामला असाधारण न हो, वास्तविक वृक्ष–काटने का कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिपूरक वनरोपण के माध्यम से वृक्ष लगाने की आवश्यकता का अनुपालन न किया जाए। सीईसी के आदेश प्राप्त करने के बाद, वृक्ष अधिकारी सीईसी के आदेश को प्रभावी बनाने के लिए अपने द्वारा पारित आदेशों में संशोधन करेंगे।

5.5 सीईसी द्वारा अनुरोध किए जाने पर, परियोजना प्रस्तावक या आवेदक जो अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आवेदन करता है, सीईसी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य होगा।

5.6 रिट याचिका/याचिकाओं (सिविल) संख्या 4677/1985 एमसी मेहता बनाम यूओआई में दिनांक 19/12/2024 के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी दिशा–निर्देशों का वृक्ष अधिकारी द्वारा मामले–दर–मामले के आधार पर पालन किया जाएगा। ये दिशा–निर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया दिनांक 19.12.2024 से लागू हैं तथा अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 के अंतर्गत सभी लंबित आवेदनों पर भी लागू होंगे।

5.7 इन मानक संचालन प्रक्रियाओं को 50 या अधिक वृक्षों को कटाने/प्रत्यारोपित करने के लिए भी सहमति सीईसी द्वारा दी गई है।

5.8 50 या अधिक वृक्षों की अवैध कटाई के मामले में, वृक्ष अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर सीईसी को सूचित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

अनुलग्नक– 1

वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत मॉडल सांकेतिक अनुमति आदेश

(वन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार आशोधित किया जाएगा)

विषयः वृक्षों के प्रत्यारोपण की अनुमति

जबकि, डीपीटीए ई–फॉरेस्ट पोर्टल पर आवेदन संख्या ..... दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 (तत्पश्चात् 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 9 के अंतर्गत .....(प्रयोजन) हेतु ..... (वृक्षों की संख्या) के प्रत्यारोपण तथा .... वृक्षों की संख्या की कटाई के संबंध में प्राप्त हुआ है।

और जबकि, प्रत्यारोपित और काटे गए सभी वृक्षों की सूची, जिसमें वृक्षों के नाम, परिधि माप, फोटोग्राफ के साथ भौगोलिक–निर्देशांक शामिल हैं, इस कार्यालय में प्राप्त हुई तथा सही पाई गई।

और जबकि, आवेदक द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 के अनुसार एक वृक्ष संरक्षण योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसमें प्रत्यारोपित वृक्षों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर प्रकाश डाला गया था।

और जबकि, केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (तत्पश्चात् 'सीईसी' के रूप में संदर्भित) के दिनांक ..... के अनुमोदन के पश्चात, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक ..... के आदेश संख्या ..... के माध्यम से अधिनियम की धारा 29 (यदि लागू हो) के अंतर्गत दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) की शर्त के अधीन छूट दे दी गई है।

और जबकि, आवेदक द्वारा परियोजना का विवरण स्थल पर तैयार किया गया था तथा परियोजना स्थल का निरीक्षण किया गया था और गिराए जाने वाले एवं प्रत्यारोपित किए जाने वाले वृक्षों की सूची को और अधिक परिष्कृत किया गया था ताकि अधिक वृक्षों को बचाया जा सके।

और जबकि, परियोजना से प्रभावित होने वाले सभी वृक्षों को क्रमांकित पाया गया तथा प्रस्तुत वृक्षों की सूची को समुचित जांच के बाद अंतिम रूप दिया गया।

और जबकि, प्रस्तावित प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ––––––(स्थल का नाम) का क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था और इसे ––––(प्रजातियों की सूची) की ..... संख्या में वृक्षों के पौधे लगाने के लिए उपयुक्त तथा पर्याप्त पाया गया था, या

और जबकि, ––––––(स्थल का नाम) पर प्रस्तावित प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्थल वन विभाग/.....विभाग (यदि इसे वन समझा जाए) द्वारा प्रदान किया गया है, और ––––(प्रजातियों की सूची) के वृक्ष के पौधे..... संख्या में पौधे लगाने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त पाया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपभोगी संस्था ने अपेक्षित राशि ––––––– जमा कर दी है।

और जबकि, प्रस्तावित प्रत्यारोपण स्थल ––––––(स्थल का नाम) का निरीक्षण किया गया और इसे ..... संख्या में वृक्षों के प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त पाया गया।

और जबकि, ––––––(उपभोगी संस्था का नाम) ने वृक्षों के प्रत्यारोपण के लिए वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास –––––– रुपए की सुरक्षा राशि जमा कर दी है।

और जबकि, सीईसी का अनुमोदन (जहां भी लागू हो) दिनांक ..... के पत्र संख्या ..... अंतर्गत प्राप्त हो गया है।

अब, इसलिए संलग्न नियमों व शर्तों को पूरा करने के अधीन ––––– संख्या के वृक्षों के प्रत्यारोपण और ––––– संख्या के वृक्षों को काटने की अनुमति दी जाती है।

प्रत्यारोपित और काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

क्र0सं0	वृक्षों की प्रजातियाँ	आवेदन के अनुसार वृक्षों की संख्या	वृक्षों का स्थान (भौगोलिक निर्देशांक सहिता)	प्रत्यारोपण/कटाई का कारण

अनुलग्नक– 2

प्रत्यारोपण/कटाई हेतु मॉडल सांकेतिक नियम एवं शर्तें

(समय–समय पर आवश्यकतानुसार वन विभाग द्वारा आशोधित किया जाएंगे। शर्तें, अधिनियम और अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार होंगी)

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण हेतु अनुमति प्रदान करते समय निर्धारित की जाने वाली विशिष्ट और सामान्य शर्तों की सांकेतिक सूची

विशिष्ट शर्तें

1. आवेदक को कटाई/प्रत्यारोपण हेतु अनुमत वृक्षों की संख्या––––– का प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पर पूरा करना होगा, जिसके लिए आवेदक को वन विभाग के पास वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि ––––––––––––––––– जमा की जाएगी। यदि आवेदक प्रतिपूरक वृक्षारोपण सफलतापूर्वक करता है और 07 (सात) वर्षों तक वृक्षारोपण का रखरखाव करता है, तो सुरक्षा जमा राशि बाद में वापस कर दी जाएगी। यदि वृक्षारोपण का सफलता प्रतिशत 100% से कम है, तो वृक्षारोपण की विफलता के प्रतिशत के अनुपात में सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी तथा वन विभाग वृक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित उसी स्थल पर या किसी अन्य स्थल पर, प्रत्यारोपित असफल पौधों की संख्या के बराबर प्रतिपूरक वृक्षारोपण करेगा। आवेदक को वापस की गई सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यद्यपि, वापसी के समय ऐसे वृक्षारोपण और इसके सात वर्ष तक रखरखाव आदि के लिए आवश्यक वास्तविक राशि काट ली जाएगी।
2. यदि आवेदक वृक्ष अधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्धारित स्थल पर वृक्षारोपण करने में विफल रहता है, तो वृक्षारोपण और उसका रखरखाव वन विभाग द्वारा आवेदक की लागत पर उसी स्थल पर किया जाएगा। आवेदक वन विभाग द्वारा गणना की गई आवश्यक धनराशि के साथ उस स्थल को वन विभाग को सौंप देगा।

सामान्य शर्तें:

i. यह अनुमति दो वर्ष की अवधि के लिए वैध है, जिसे वैध कारणों पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

ii. यदि आवेदक प्रतिपूरक वृक्षारोपण कर रहा है, तो आवेदक को अधिनियम की धारा 12 के अनुपालन में विस्तृत वृक्षारोपण कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी।

iii. किसी भी माननीय न्यायालय तथा/या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए या जारी किए जाने वाले सभी संबंधित दिशा–निर्देशों का आवेदक द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए।

iv. आवेदक को वृक्ष कटाई/प्रत्यारोपण शुरू करने से कम से कम 3 दिन पहले वृक्ष अधिकारी के कार्यालय को सूचित करना होगा।

v. वृक्षों को काटने/प्रतिरोपित करने की अनुमति आवेदक के स्वयं के जोखिम पर दी जाती है तथा किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों के दावे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दी जाती है, जिनका भूमि या वृक्षों पर कोई अधिकार हो सकता है/हो सकते हैं।

vi. स्थानांतरित किए जाने वाले वृक्षों के बीच उचित दूरी होनी चाहिए।

vii. प्रत्यारोपण नीति, 2020 में निर्दिष्ट सभी शर्तों का आवेदक द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए।

viii. किसी भी ऐसे वृक्ष को काटना/प्रत्यारोपित नहीं किया जाएगा, जिसमें किसी पक्षी, गिलहरी या सांप का घ घोंसला/गड्ढा हो, जब तक कि घोंसला/गड्ढा खाली न कर दिया जाए।

ix. छंटाई के कारण उत्पन्न होने वाले टहनियों और शीर्षों को निकटतम सार्वजनिक श्मशान भूमि पर भेजा जा सकता है तथा रसीद की एक प्रति वृक्ष अधिकारी को भेजी जा सकती है।

x. आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना के निर्माण/विकास के दौरान संरक्षित वृक्षों को कोई नुकसान न हो।

xi. आवेदक पर्याप्त सावधानी बरतेगा तथा वृक्षों के कटाई/प्रत्यारोपण के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

xii. परियोजना भूमि से वृक्षों की कटाई हेतु यदि भूमि–स्वामित्व वाली एजेंसी को कोई क्षतिपूर्ति की जानी है, तो उसका भुगतान परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 24th April, 2025

No. F.1(2554)/Legal/HQ/23-23/1022.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, the Government of National Capital Territory of Delhi, in public interest, hereby, notifies "Standard Operating Procedure (SOP) For Tree Felling / Transplantation under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994"

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) FOR TREE FELLING / TRANSPLANTATION UNDER DELHI PRESERVATION OF TREES ACT, 1994

The Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (**hereinafter referred to as** "the Act") regulates the felling of trees in NCT of Delhi. The object of the Act is to preserve the trees and not to permit cutting or felling of the trees, unless necessary. Considering the object of the Act, it is evident that the permission for felling or cutting of the trees can be granted only by way of an exception and not in a routine manner. The provisions of the Act reiterate the public trust doctrine, which enjoins the State to protect the natural resources, including the trees.

On a joint reading of Articles 21, 48A and 51A (g) of the Constitution of India, it is apparent that the State is mandated to protect, improve and safeguard the natural environment. Trees are a vital part of our environment. The precautionary principle requires the governments to anticipate, prevent, and remedy or eradicate the causes of environmental degradation, including acting sternly against the violators. Illegal felling of even a single fully grown tree hurts the environment and the society as a whole.

The aim and objective of the Act, *inter alia*, is to promote afforestation, reforestation and environmental protection throughproactive participation of the community, and also to promote a sense of innate ownership amongst the citizens, towards trees and forests in Delhi.

There are three major parts of the Act. The first part deals with the grant of permissions to fell the trees, the second part is about the duties of the Tree Authority, and the third part is about penalizing the persons for committing breaches of the provisions of the Act. There are other provisions, such as the obligation of the owners of the lands to preserve the trees.

1. IMPORTANT FEATURES OF THE DELHI PRESERVATION OF TREES ACT, 1994, RELATED TO TREE PRESERVATION:

1.1 As per Section 2(i) of the Act “tree” means any woodyplant whose branches spring from and are supported upon a trunk or body as defined in the Act.

1.2 “To Fell a Tree” has been defined under Section 2(h) of the Act. As per this definition under Section 2(h) of the Act, "to fell a tree" with its cognate expression, means severing the trunk from the roots, uprooting the tree and includes bulldozing, cutting, girdling, lopping, pollarding, applying arboricides, burning or damaging a tree in any other manner.

1.3 Section 8 prohibits felling of trees without permission of the Tree Officer appointed under Section 2(j) of the Act except in situations where if the tree is not immediately felled, there would be grave danger to life or property or traffic—in which cases the owner of the land may take immediate action to fell such tree and report the fact to the Tree Officer within twenty-four hours of such felling.

1.4 The Tree Officer can grant / refuse permission for felling under Section 9(2). Pertinently, under Section 9(3) *proviso*, the Tree Officer cannot give permission for felling from the same area on more than two occasions during the same year subject to a maximum area of 1 hectare.

1.5 Section 11 mandates the land owners to preserve and protect trees on their land which are planted in compliance of directions issued under Section 10 and the Tree Officer can issue directions for protection of trees if adequate measures are not taken by the owner.

1.6 Section 29 of the Act empowers the GNCTD to exempt any area or any species of trees from all or any of the provisions of the Act, in public interest.

1.7 The GNCTD is also empowered to prohibit felling altogether of a class of trees for a specified period under Section 30 of the Act, and

1.8 Under Section 33 of the Act, the GNCTD can give directions to the Tree Officer, Tree Authority and officers subordinate to the Tree Authority regarding discharge of their functions for carrying out the purposes of the Act.

2. DETAILS TO BE PROVIDED BY THE APPLICANT FOR TREE ELLING/TRANSPLANTATION.

2.1. If an applicant, for any other reason, finds that felling/transplantation oftree(s) is necessary, he shall have to mandatorily provide the following details in the application to be submitted to the Department of Forest and Wildlife, GNCTD:

i. Duly filled up form in DPTA e-Forest portal in all respect.

ii. Self-attested copy of the registered document of ownership and/or copy of municipal or revenue record clearly showing details of ownership of the property or *jamabandi* of land record issued by the Tehsildar.

iii. NOC from the land owner(s), if applicant is not the land owner.

iv. Enumeration list (species and girth) of trees of the entire area (duly signed by the applicant *or authorized agent of the applicant*) including geo-referenced photographs showing the enumeration number clearly (each tree to be given a unique number by the applicant).

v. Boundary description (duly signed by the applicant).

vi. Undertaking that all other permissions/ approvals, as may be required, have been obtained or are being obtained.

vii. Details (KML file, area, ownership proof including khasra details) of the site where the trees are proposed to be transplanted and compensatory plantation proposed to be carried out, if applicable.

viii. Undertaking to be submitted by the Applicant, clearly stating that the said parcel of land identified for compensatory plantation is not allotted for any other purpose including for compensatory plantation / afforestation / transplantation for any other project, if applicable.

ix. Tree Preservation Plan in the prescribed format as per Tree Transplantation Policy, 2020.

x. In case the application is related to a development project, following additional documents (in addition to above mentioned documents (sl number i. to ix.)) shall also be submitted-

a) Details of other feasible options explored before finalizing the project, if any, to ensure minimizing the number of trees affected.

b) A copy of the detailed architectural drawings (in .dwg drawing file format showing the khasra numbers) which includes overlay of trees on to-the-scale layout and alignment of the proposed project.

3. COMPENSATORY PLANTATION & TRANSPLANTATION

3.1 Section 10 of the Act mandates certain number of trees to be planted for each tree felled/transplanted (to be called Compensatory Plantation). As a standard for each tree felled/ transplanted, the applicant shall plant such number of tree saplings of suitable species as specified by the state government from time to time.

3.2 If number of trees to be felled / transplanted by the applicant are less than or equal to twenty-five, compensatory plantation/transplantation will be carried out, if possible, by the applicant itself: otherwise, for reasons recorded in writing by the concerned Tree Officer, by the Forest Department for which required funds will be provided by the applicant for carrying out such plantation/transplantation and its maintenance for sevenyears.

3.3 For rest of the cases (for felling/ transplantation of more than twenty-five trees), the applicant shall provide land for compensatory plantation. Applicant shall also bear the cost of raising compensatory plantation and its maintenance for seven years, over such land, as fixed by the Department of Forests and Wildlife, GNCTD from time to time.

3.4 The Tree Officer will carry out required due diligence about the land offered for compensatory plantation or transplantation. It is clarified that enrichment/gap-planting in existing plantations will also be considered towards compensatory plantation.

3.5 In case the applicant itself carries out the plantation, then an amount in form of security deposit as decided by the Department of Forests and Wildlife, will be deposited by the applicant with the Tree Officer. The amount will be refunded (after seven years) by the Tree Officer to the applicant, if plantation (number of trees as required to be planted) is fully developed as trees in seven years.

3.6 In case the applicant has to raise compensatory plantation but fails to raise successful compensatory plantation, then the security deposit shall be forfeited by the Tree Officer and the Compensatory Plantation on the same proposed site shall be carried out by the Forest Department. Further, the Applicant shall be mandated to deposit extra site improvement expenses, which may be required to make the site suitable for plantation, as calculated by the Forest Department/Tree Officer concerned.

3.7 For transplantation of Trees, Transplantation Policy 2020 as amended from time to time shall be followed.

3.8 An exercise shall be done by the Applicant to ensure that the compensatory plantation / transplantation is duly undertaken in the area or in the vicinity of the site itself from where trees are felled, to the extent possible.

3.9 Each tree planted or transplanted will be geo-tagged and the details of the plantation carried out will be uploaded on the portal of the Forest Department. Yearly progress of plantation (geo-referenced photographs with date) will be uploaded against concerned tree felling permission by the agency carrying out the plantation.

4. CONSIDERATION OF THE APPLICATION UNDER SECTION 9(1) FOR FELLING/TRANSPLANTATION UNDER THE DPTA, 1994 BY THE TREE OFFICER

4.1 The basic function and duty of the Tree Officers is to preserve the trees and, therefore, only in case of necessity and for good reasons the permission for felling/transplantation of trees shall be granted.

4.2 A copy of the application for felling/transplantationof the trees along with land details will be mandatorily sent by the Tree Officer to MCD or NDMC or DDA or Cantonment Board under whose jurisdiction the said area falls, for their information. These authorities may submit their observations/ objections, if any to the CEC within two weeks in case the number of trees to be felled/transplanted are 50 or more, otherwise to the Tree Officer, from the date of receipt of the application.

4.3 The Tree Officer after visiting the site will decide whether the felling or trans-location of the trees as sought by the applicant is necessary. The Tree Officersshall makean effort to save as many trees as possible. The Tree Officers shall consider whether; by pruning or by some other methods, the trees can be saved from felling/transplantation.

4.4 The approved layout plan of the project area submitted by the Applicant on the DPTA e-Forest portal including the building plan, road and other structures, etc. shall be demarcated on the ground (on the scale of 1:1) by the Applicant. The enumeration list of trees (each tree will be given a unique number) submitted by the applicant, for the project area which includes trees to be saved, transplanted and felled, on the DPTA e-Forest portal shall be jointly verified and authenticated on the ground, by the Tree Officer and the Applicant.

4.5 The Tree Officer shall carefully examine and inspect all the trees in the project area to arrive at the bare minimum number of trees to be felled/transplanted. After this exercise, the Tree Officer shall finalize the list of trees to be saved, transplanted and felled.

4.6 Once the trees list is authenticated and finalized for felling/transplantation, the Applicant will 'mark' the trees with paint in the form of two rings around the concerned tree i.e. 'Yellow' for trees to be transplanted and 'Red' for trees to be felled.

4.7 A Speaking Order to be issued by the Tree Officer for felling/ transplantation under the Act. The permission for felling/ transplantation will be valid for a period of two years, which may be extended if proper justification is furnished by the applicant. On expiry of the validity of the permission, the Applicant shall apply afresh for the permission.

4.8 The proviso to sub-Section (3) of Section 9 reads thus:

> *"9. Procedure for obtaining permission to fell, cut, remove or dispose of a tree -*
>
> *(3). ……. Provided that no permission shall be granted to any person from the same area on more than two occasions during the same year subject to a maximum area of one hectare at a time."*

4.9 If the Tree Officer finds that a second application is made in the same year in respect of the same area for the felling of trees and the total number of trees covered by the first and second applications exceeds 49, even

if the permission sought by the second application is in respect of fewer than 50 trees, the permission granted on the second application shall not be acted upon unless the same is vetted and approved by the by the Central Empowered Committee (for short, "the CEC").

4.10 The Tree Officer shall not entertain any application under Section 9 of the Act unless there is a declaration supported by documents about the number of applications made under Section 9 of the Act in that particular year (Calendar Year) regarding the same property.

4.11 The sub-Section (4) of Section 9 of the Act, has been stayed by the Hon'ble Supreme Court by the order dated 19/12/2024,in the Writ Petition(s) (Civil) No 4677/1985 M.C. Mehta vs UoI, and therefore shall not be applicable for applications submitted for the tree felling/transplantation.

5 **ADDITIONALCONDITIONS FOR FELLING/ TRANSPLANTATION OF 50 OR MORE TREES**

5.1 Whenever a Tree Officer grants permission for the felling/transplantation of 50 or more trees in accordance with Section 8 read with Section 9 of the Act, the said permission shall not be acted upon unless the same is approved by the CEC.

5.2 Whenever the Tree Officer under the Act grants permission for the felling/ transplantation of 50 or more trees, immediately after granting such permission, the Tree Officer shall forward the entire record of the application along with a copy of the permission to the CEC. Upon receipt of the documents, it will be open for the CEC to call upon the concerned Tree Officer to furnish additional information and additional documents, as required.

5.3 The CEC will carefully consider the applications and all relevant aspects and will decide whether the permission deserves to be granted or whether any modification is required to the permission or the terms and conditions imposed under the permission.The CEC, after examining the entire case, may either allow or reject the application, may allow the application partly and/or modify the terms and conditions on which permission is proposed to be granted by the Tree Officer.

5.4 While granting permission to fell/ transplant 50 or more trees, unless the case is exceptional, actual tree-cutting work shall not be undertaken unless compliance is made with the requirement of planting trees by way of compensatory afforestation. After receiving orders of the CEC, the Tree officers shall amend the orders passed by them to give effect to the order of the CEC.

5.5 On the requisition being made by the CEC, the project proponent or the applicant who makes an application under Section 9 of the Act shall be bound to appear before the CEC.

5.6 All the directions of the Hon'ble Supreme Court in the Judgement dated 19/12/2024 in the Writ Petition(s) (Civil) No 4677/1985 M.C. Mehta vs UoI will be followed bythe Tree Officer on case-to-casebasis. These directions/SOPs are applicable w.e.f. 19.12.2024 and will also apply to all the pending applications under Section 8, read with Section 9 of the Act.

5.7 These SOPs have also been concurred by the CEC for felling/ transplanting of 50 or more trees.

5.8 In case of any illicit felling of 50 or more trees, the CEC will be informed by the Tree Officer within twenty-four hours of receipt of such information by the Tree Officer.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi
A.K. SINGH, Principal Secy. (Environment & Forests)

Annexure-1

Model indicative Permission Order under DPTA, 1994 for felling / transplantation of trees

(to be modified by the Forest Department as per the requirement)

Subject: Permission for Transplantation of Trees

WHEREAS, application no. ….. …. on DPTA e-Forest portal has been received from ……. regarding transplantation of……(number of trees)…..trees and felling of ……number of trees for ……..(purpose) under Section 9 of Delhi Preservation of Trees 1994 Act, 1994 (hereinafter referred as 'the Act').

AND WHEREAS, list of all trees to be transplanted and felled with details of name of the trees, girth measurement, geo-coordinates along with photographs was received in this office and found to be in order.

AND WHEREAS, a Tree Preservation Plan made in accordance with the Tree Transplantation Policy 2020 highlighting the steps that would be undertaken to ensure survival of transplanted trees was submitted by the applicant.

AND WHEREAS after the approval of Central Empowered Committee (hereinafter referred as 'CEC') dated……, the Government of NCT Delhi vide order No……..dated……., has exempted condition of Sub section (3) of Section 9 of DPTA under Section 29 of the Act (If applicable).

AND WHEREAS, the details of the project were drawn on the site by the Applicant and inspection of the project site was carried out and the list of trees to be felled and transplanted were further refined so that more trees can be saved.

AND WHEREAS, all the trees to be affected by the project were found to be numbered and the submitted trees list was finalized after due diligence.

AND WHEREAS, Compensatory Plantation site proposed at -----(name of the site) ------ was inspected by the field staff and was found suitable and sufficient to plant ……. number of tree saplings of ----(list of species) OR

AND WHEREAS, Compensatory Plantation site proposed at -----(name of the site) ------ has been provided by the Forest Department/……..Department (in case of deemed forest), and was found suitable and sufficient to

plant ……. number of tree saplings of ----(list of species). Further UA has deposited the required amount of Rs----for such Compensatory Plantation.

AND WHEREAS, Transplantation site proposed at -----(name of the site)------ was inspected and was found suitable for transplantation of ……number of trees.

AND WHEREAS, ----(name of UA)-----has deposited a security amount of Rs. ------- with Department of Forests & Wildlife, GNCTD for transplantation of …….. trees.

AND WHEREAS approval of the CEC (as and where applicable) has been received vide letter no…….. dated…….

NOW THEREFORE, the permission is granted for transplantation of ----Nos---- of trees and felling of -----Nos---- of trees subject to fulfilment of terms & conditions Annexed.

DETAILS OF TREES TO BE TRANSPLANTED AND FELLED

S.N.	Species of Trees	S.No. of tree as per application	Location of Trees (with geo coordinates)	Reason for Transplantation / felling
1.				
2.				

Annexure-2

MODEL INDICATIVE TERMS AND CONDITIONS FOR TRANSPLANTATION/FELLING

(To be modified by the Forest Department as per the requirement from time to time.Conditions shall be as per the Act and the approved SOPs)

INDICATIVE LIST OF SPECIFIC AND GENERAL CONDITIONS TO BE STIPULATED WHILE GRANTING PERMISSION UNDER THE DPTA, 1994 FOR FELLING / TRANSPLANTING

Specific Conditions

1. The compensatory plantation of ---- number of trees permitted for felling/ transplantation should be completed by the Applicant at the site_____for which refundable security deposit of amount _____will be deposited by the Applicant with the Forest Department. If the applicant carries out compensatory plantation successfully and maintains the plantation for 07 (seven) years, the Security Deposit amount will be refunded afterwards. If the success percentage of the plantation is less than 100%, theamount of security deposit proportionate to the percentage of failure of plantation will be forfeited and

the Forest Department will raise the Compensatory Plantation equal to the failed number of saplings at the same site or at another site as may be decided by the Tree Officer. No interest will be paid on the amount of the Security Deposit refunded to the applicant. However, the actual amount required for such plantation and its seven-year maintenance etc at the time of the refund will be deducted.

2. If the Applicant fails to carry out the plantation at the earmarked site within a period as specified by the tree officer, the plantation and its maintenance will be carried out by the Forest Department at the same site at the cost of the applicant. The applicant will hand over the site to the Forest Department along with the required funds as calculated by the Forest Department.

General Conditions:

i. The permission is valid for a period of two years, which is extendable, on valid reasons, for one more year.

ii. If Applicant is doing Compensatory Plantation, a detailed plantation schedule shall have to be submitted by the applicant in compliance with section 12 of the Act.

iii. All related directions issued, or may be issued by any Hon'ble Court and/or any competent authority must be complied with by the Applicant.

iv. The applicant will intimate to the office of Tree Officer at least 3 days in advance before commencing the felling/transplantation.

v. Permission to fell/ transplant the trees is granted at Applicant's own risk and without prejudice to the claim(s) of any person/s who may be having any right(s) over the land or the trees.

vi. The translocated trees should be appropriately spaced.

vii. All the conditions specified in transplantation policy, 2020 must be complied by the applicant.

viii. Felling/ Transplantation of any tree which has a nest of a bird, squirrel or snake pit shall not be carried out till the nest/pit is abandoned.

ix. Lops and Tops arising out of pruning may be sent to the nearest public cremation ground and a copy of the receipt may be sent to the Tree Officer.

x. The Applicant must ensure that the protected trees are not disturbed during the construction / development of the project.

xi. The applicant will take adequate precautions and be fully responsible for any accident that might happen during felling / transplantation of trees.

xii. For felling of trees from the project land, if any compensation is to be paid to the land-owning agency, the same shall be borne and settled by the project implementing Agency.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.05.17 10:45:58 +05'30'